संoसंo—1/प0कॉ0—03/2017— 103(1) स्वा०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,
पटना मेडिकल कॉलेज,
पटना।

पटना, दिनांक— 08/03/2018

विषयः— पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना, विपत्र कोड—20—2210051050001 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017—18 में वेतन एवं भत्ते मद में कुल रू0 6,00,00,000/— (रुपये छः करोड़) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के पत्रांक—477, दिनांक—02.02.2018 के आलोक में पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना, विपत्र कोड—20—2210051050001 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017—18 में वेतन एवं भत्ते मद में रू0 6,00,00,000/— (रुपये छः करोड़) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति निम्नरुपेण प्रदान की जाती है—

विषय शीर्ष	कुल बजट उपबंध	पूर्व का कुल संयुक्त आवंटन	पुनर्विनियोग से प्राप्त उपबंध	कुल उपबंध	प0मे0कॉ0 को वर्तमान आवंटन	अद्यतन कुल संयुक्त आवंटन	शेष राशि
0001.01.01 वेतन	218587000	218587000	42500000	261087000	42500000	261087000	0
0001.01.03 जीवन यापन भत्ता	268422000	268422000	3000000	271422000	3000000	271422000	0
0001.01.04 मकान किराया भत्ता	67104000	67104000	6800000	73904000	6800000	73904000	0
0001.01.05 परिवहन भत्ता	4522000	4522000	4200000	8722000	4200000	8722000	0
0001.01.06 चिकित्सा भत्ता	1050000	1050000	2500000	3550000	2500000	3550000	0
0001.01.07 अन्य भत्ता	90000	90000	1000000	1090000	1000000	1090000	0
योग— वेतन एवं भत्ते	**559775000**	**559775000**	**60000000**	**619775000**	**60000000**	**619775000**	**0**

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2) दिनांक 17.04.1998, 2880/वि०(2) दिनांक 06.05.06, 2938/वि0(2), दिनांक 08.04.08 एवं 3388/वि0(2) दिनांक 18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या—20, मुख्य शीर्ष—2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05—चिकित्सा शिक्षा—प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—105—एलोपैथी—0001—पटना मेडिकल कॉलेज, विपत्र कोड—20—2210051050001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017—18 में स्वीकृत्यादेश सं0—263(1) दिनांक—05.03.2018 द्वारा पुनर्विनियोग से प्राप्त उपबंधित राशि से किया जायेगा।

क्रमशः

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

7. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्त्तों के तहत् किया जाएगा।

8. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।

9. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जाएगी।

10. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

11. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

8/3/18

(सच्चिदानन्द चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–1/प0कॉ0–03/2017– 103(1)स्वा0 /स्वा0, पटना, दिनांक– 08 /03 /2018

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8/3/18

सरकार के विशेष सचिव

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञाप संख्या–1/प0मे0कॉ0–02/2018– 263(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 05/03/2018

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

*द्वारा–वित्त विभाग

विषयः– **माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–0001–पटना मेडिकल कॉलेज, विपत्र कोड–20–2210051050001 में वित्तीय वर्ष 2017–18 में वेतन एवं भत्ते मद में रू0 6,00,00,000/–(रुपये छः करोड़) मात्र पुनर्विनियोग की स्वीकृति।**

आदेश– वित्तीय नियमावली भाग–1 के नियम 489 के अन्तर्गत स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष अन्तर्गत वेतन एवं भत्ते मद में रू0 6,00,00,000/–(रुपये छः करोड़) मात्र की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

2. उक्त राशि माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–0001–पटना मेडिकल कॉलेज, विपत्र कोड–20–2210051050001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा (विवरणी संलग्न)।

3. संबंधित वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 वि0(2) दिनांक 17.04.98, परिपत्र सं0 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007 एवं 2398 वि0(2) दिनांक 08.04.08 में निदेशित प्रक्रिया के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

6. प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

7. प्रस्ताव एवं प्रारूप में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(हस्ताक्षर) 5/3/18

(सच्चिदानन्द चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–1/प0मे0कॉ0–02/2018– 263(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 05/03/2018

प्रतिलिपि– वित्त विभाग, बजट शाखा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा–1 को अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 05/3/18

सरकार के विशेष सचिव